

# निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0न0 41/प्रा0पत्र/18

राज0सरकार जयें प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग झालावाड़  
बनाम

बलराम/शिवनारायण

बस स्टेण्ड रोड़ चौमहला, तहसील गंगधार

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त 01  
घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित:- परोकार रसद  
अप्रार्थी स्वयं

—: निर्णय :-

दिनांक: 28.03.2018

यह प्रा0पत्र प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय झालावाड़ द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। प्रा0पत्र के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिये दिनांक 13.03.2018 को प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय झालावाड़ जांच हेतु विभिन्न स्थानों पर पहुंचे, वक्त जांच दुकान पर बलराम उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को दुकान का मालिक बताया। वक्त जांच मकान की तलाशी लेने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसीएल के 0 तथा रिफिलिंग के काम में ली जा रही 1 मोटर को सीज किया जाकर मेसर्स नीमा एचपी गैस सर्विस गंगधार के मेनेजर पंकज नीमा की सुपुर्दगी में दिया गया। जांच से स्पष्ट है कि उक्त द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करके एलपीजी लिक्वफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगूलेशन आफ सप्लाइ एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के क्लाज 3(1) (सी)व 4(1)(ए) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत सीजशुदा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रा0पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। परोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान में अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग कर रहा था जो एलपीजी लिक्वफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगूलेशन आफ सप्लाइ एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के क्लाज 3(1) (सी)व 4(1)(ए) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत सीजशुदा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किया जावे। इस पर अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रा0पत्र व लिखित बहस की पुष्टी करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी जानकारी के अभाव में घरेलू गैस सिलेण्डर को दुकान पर रखा गया था, दुकान में व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाता है व व भविष्य में व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग अपने प्रतिष्ठान पर करेगा। प्रकरण से मुक्त किया जाकर जब्त सिलेण्डर को वापस अप्रार्थी को दिलवाया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। परोकार सरकार द्वारा अपने प्रा0पत्र में अंकित किया गया है कि वक्त जांच मौके पर दुकान की तलाशी लेने पर मकान/दुकान पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसीएल के 0 तथा रिफिलिंग के काम में ली जा रही 1 मोटर को सीज किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब व लिखित बहस में अंकन किया है कि जानकारी के अभाव में घरेलू गैस सिलेण्डर का अपने प्रतिष्ठान में रखा गया था जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। अप्रार्थी का कथन मान्य नहीं है क्योंकि दौराने जांच घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल के 0 के साथ 1 मोटर जो रिफिलिंग में काम में ली जाती है पाई गई है जो फर्द मौका निरीक्षण व सुपुर्दगी से साबित है। इस प्रकार यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अपनी मकान/दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक रूप से उपयोग किया गया है। अप्रार्थी के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना उचित नहीं है। हमारी राय में प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा गैस सिलेण्डर एचपीसीएल के 0 न0 463559,091893 व मोटर को राजसात किया जाता है—जिला रसद अधिकारी उक्त राजसात सिलेण्डर का विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अनुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावें। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक: 28.03.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलक्टर  
झालावाड़